

कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0
संख्या-24/06/ई-2/2025-26
प्रयागराज: दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

विज्ञप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए-5/ई-1/2025 दिनांक 28-07-2025 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) (प्रा0) परीक्षा-2025 से संबंधित 02 विषयों यथा- गृह विज्ञान एवं वाणिज्य की परीक्षा दिनांक 21 दिसम्बर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

क्र० सं०	विषय	परीक्षा तिथि/सत्र	समय
1.	गृह विज्ञान	21 दिसम्बर, 2025/प्रथम सत्र	पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
2.	वाणिज्य	21 दिसम्बर, 2025/द्वितीय सत्र	अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक

प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपने ओटी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिलिपि बनाना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती हैं।"

(हर्ष देव पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक।